न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 192/2023

अनवान : –

1. महेन्द्र पुत्र रामकरण उर्फ करण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– सायल

बनाम्

1. गंगाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. भैराराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. राकेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. रामप्रताप पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. रामुराम उर्फ रामेश्वरलाल पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. लालचन्द पुत्र ठाकरूराम जाति कुम्हार निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायलान**

निर्णय दिनांकः 13/04/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 23/3 व ख0न0 23/2 की भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

रोही मौजा कानसर के ख0न0 23 मीन की 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि जिसमें रामेश्वर, रामप्रताप पि0 जैसाराम खातेदार काश्तकार थे तथा ख0न0 33 मिन की 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि के लालचन्द पुत्र ठाकरूराम खातेदार काश्तकार थे। उक्त भूमि रामप्रताव व रामेश्वरलाल ने दिनांक 17.04.1979 को जरिये रजि0 बैयनामा सायल के पिता बैय कर दी थी तथा कब्जा सायल के पिता को सम्भला दिया था। सायल के पिता ने बैयानामा के नामानतरण हेतु पटवा हल्का को दे दिया सायल के पिता अनपढ़ व्यक्ति थे गैरायल ने पटवार हल्का से साजबाज कर उक्त नामानतरण रूकवा दिया वाद भूमि पर सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है इसलिए अप्रार्थीगण उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहते है इसलिए गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

लिहाजा यह प्रार्थना–पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 23/3 व ख0न0 23/2 की 2.7690 हैक्ट भूमि को गैरसायलान रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के ख0न0 23 मीन की 10 बीघा 19

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:06:14 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

बिस्वा भूमि जिसमें रामेश्वर, रामप्रताप पि0 जैसाराम खातेदार काश्तकार थे तथा ख0न0 33 मिन की 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि के लालचन्द पुत्र ठाकरूराम खातेदार काश्तकार थे। उक्त भूमि रामप्रताव व रामेश्वरलाल ने दिनांक 17.04.1979 को जरिये रजि0 बैयनामा सायल के पिता बैय कर दी थी तथा कब्जा सायल के पिता को सम्भला दिया था। सायल के पिता ने बैयानामा के नामानतरण हेतु पटवा हल्का को दे दिया सायल के पिता अनपढ़ व्यक्ति थे गैरायल ने पटवार हल्का से साजबाज कर उक्त नामानतरण रूकवा दिया वाद भूमि पर सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है इसलिए अप्रार्थीगण उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहते है इसलिए गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक रामप्रताप व रामेश्वरलाल से प्रार्थी के पिता कर द्वारा दिनांक 17.04.1979 को खरीद की गई थी। लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा 1979 के बैयनामा बाबत करीबन 45 वर्ष बाद ऐतराज जाहिर किया गया है एवं अप्रार्थीगण के नाम भूमि दर्ज कैसे दर्ज हुई है का भी साक्ष्य पेश नही किया है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीगण को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/04/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:06:14 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर